



G20

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुर्वारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन-247120)



Website-msuniversity.ac.in

Email ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 10/एन0एस0एस0/एम.एस.यू./2023-24

दिनांक 28/12/2023

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भाँति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्रिएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0-506/सत्तर-रा.से.यो.को-2023 दिनांक 27.12.2023 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भाँति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्रिएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. शैक्षणिक समन्वयक, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को इस आशय से कि वह उक्त कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रेषक,

डॉ० मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं,
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कार्यक्रम समन्वयक,

एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2- उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल

एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर 2023

विषय:- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भांति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले किएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिवहन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-- 3496/तीस-3-2023 दिनांक 26 दिसम्बर 2023 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कार्यक्रम समन्वयक, एन०एस०एस० से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भांति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले किएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार करना अपेक्षित है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यक्रम समन्वयक, एन०एस०एस० से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भांति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले किएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को संलग्न गाइड-लाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करते हुए जनसामान्य के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने हेतु जनसामान्य के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा सुचना शासन के ई-मेल- snoupnss@gmail.com/upsno.luck@gmail.com पर समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का काम करें।

संलग्नक-यथोक्त।

मंजू सिंह
27/12/2023

(डॉ० मंजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

8

संख्या-508(1) / सत्तर-रा0से0यो0को0-2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 3- निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली ।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 5- उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के अवलोकनार्थ ।
- 6- क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0-1, आठवां तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगढ़, लखनऊ ।

आज्ञा हे.
27/11/2023

(डॉ० मजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी ।

8

अस्त्यपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-3496/तीस-3-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- सम्स्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- सम्स्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिचय अंश-3

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2023

विषय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "हर घर तिरंगा" की भांति "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्रिएटिव को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर स्टेटस के रूप में लगाये जाने के संबंध में।

नहोदय,

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में घटी हुई मृतकों की संख्या एक गम्भीर चिंता का विषय है, जिसमें कमी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

2. उपरोक्त उद्देश्य को प्रदेश शासन के पत्र संख्या-आई/440447/तीस-3-2023, दिनांक 05.12.2023 द्वारा दिनांक 15 से 31 दिसम्बर, 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें सम्स्त स्टैकहोल्डर विभागों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही भी की जा रही है। सड़क सुरक्षा के संदेश को जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु सड़क सुरक्षा पखवाड़े के समापन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" की भांति ही "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन को प्रदेश के सम्स्त अधिकारियों/कर्मचारियों, एनओओओ, ट्रक, बस, टैन्पो/टैक्सो आदि यूजियर्स तथा मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्स-एप सहित अन्य सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर स्टेटस अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।

3. उल्लेखनीय है कि आपकी अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जिला/मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में स्टैक-होल्डर विभागों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न एनओओओ एवं बस/ट्रक/टैन्पो/टैक्सो यूजियर्स आदि के पदाधिकारी भी प्रतिभागी करते हैं। इससे साथ-साथ अन्य विभागों की उत्पाद स्तरीय समितियों को प्रेरणा भी आपकी अध्यक्षता में ही आयोजित हो रही है। सड़क सुरक्षा के संदेश को जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु शिवा विभाग के माध्यम से सम्स्त एनओओओ तथा सरकारी/गैर-सरकारी विभागों के साथ-साथ सम्स्त समितियों एवं संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले क्रिएटिव को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रभावी निरूप

M. Sankar
27/12/2023

हो सकता है।

4. अतः "हर सफर में सड़क सुरक्षा" का किएटिव संलग्न कर प्रेषित करत हुए, मुझ यह कहन का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सम्बन्धन दिवस पर दिनांक 31.12.2023 को "हर सफर में सड़क सुरक्षा" स्लोगन वाले किएटिव को उक्तसंस्थान के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- "हर सफर में सड़क सुरक्षा" किएटिव

Digitaly Signed by दुर्गा

सिंह

Date 24.12.2023 13:15:44

Reason: Approve

(दुर्गा सिंह सिंह)

मुख्य अधिकारी

संख्या-3496(1)/तीस-3-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1-समस्त अपर मुख्य अधिकारी/परिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयप्रमुख, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ.प्र.)।
- 4-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रमुख निदेशक, उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 6-पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गिताबुद्दौलपुर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गजियाबाद/प्रयागराज।
- 7-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त अपर परिवहन आयुक्त/उप-परिवहन आयुक्त, उ.प्र. (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 9-समस्त सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) उ.प्र. (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 10-समस्त सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ.प्र. (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

(संलग्नक-3)
(संलग्नक-3)
मुख्य अधिकारी





परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश



हर सफर में सड़क सुरक्षा



दोपहिया वाहन चलते समय AIS मार्क का सेल्फिेट आवश्यक पार्से दूसरी सवारी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।



अपनी लीन में ही चलाएं



वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें



तेज रफ्तार से चलाएं



नशे की हालत में वाहन न चलाएं

वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा का कानून ध्यान में रखना आवश्यक है।
अपने वाहन को उचित ढंग से चलाएं।